न्यायालय विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो)–प्रथम/गैंगेस्टर एक्ट, ज्ञानपुर–भदोही

उपस्थित : लोकेश कुमार मिश्रा (एच.जे.एस.)

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या– 246 सन् 2026

UPSN010007732026

रामबाबू उर्फ भानू उम्र लगभग 26 वर्ष पुत्र जगनारायन निवासी कुनवीपुर थाना औराई जिला भदोही।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजन पक्ष।

अपराध संख्या–01 सन् 2026
धारा– 3(1) उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट
थाना– गोपीगंज, जनपद –भदोही

20.03.2026

प्रार्थी/अभियुक्त रामबाबू उर्फ भानू की ओर से मुकदमा अपराध संख्या– 01 सन् 2026 अन्तर्गत धारा–3(1)उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट , थाना– गोपीगंज, जिला भदोही, के मामले में अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपने जमानत प्रार्थना–पत्र में यह कथन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा दिया जा रहा यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। उपरोक्त अपराध सख्या –01 सन् 2026 ई० धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द समाजविरोधी कियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 मे प्रार्थी को झूठे तौर पर फंसाया गया है। प्रार्थी निर्दोष है और किसी भी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया है। पुलिस प्रार्थी को गिरफ्तार करना चाहती है बराबर गिरफ्तारी के लिये दविश दे रही है और गिरफ्तारी के लिये तत्पर है। प्रार्थी अनुसूचित जाति हरिजन है किसी तरह मजदूरी करके अपना व परिवार वालों का भरण पोषण करता है। प्रार्थी किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं है। प्रार्थी कोई अपराधी नहीं है और न ही अपराध करता है और न ही अपराध करने का अभ्यस्थ ही है। प्रार्थी का सहअभियुक्त अर्जुन बिन्द, मो० ताजिम, सुहेल व सचिन यादव के साथ किसी भी प्रकार का न तो कोई अपराध किया है और न ही किसी भी व्यक्ति से कोई आपराध का सम्बन्ध है, न कोई आपराधिक गिरोह है। प्रार्थी किसी भी आपराधिक गिरोह का न सदस्य है न किसी आपराधिक गिरोह का

सरगना है। प्रार्थी के दुश्मनान की साजिश में होकर पुलिस ने साजिशन रंजिशन मात्र प्रार्थी को हैरान परेशान करने की गरज से झूठे व रंजिशवस आशय से गैंगचार्ट तैयार किया गया है। जो गैंगचार्ट तैयार किया गया है उसके सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय–समय पर दिये गये दिशा निर्देशो का पालन नहीं किया गया है और गैंगेस्टर एक्ट व उसके तहत् बनी नियमावली में दिये गये प्राविधानों का अनुपालन भी नहीं किया गया है। पुलिस ने गैंगेस्टर का मुकदमा कायम करने के लिये झूठे आशय की रिपोर्ट प्रेषित की है और झूठे आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है। प्रार्थी का कोई संगठित आपराधिक गिरोह नहीं है, न प्रार्थी किसी आपराधिक संगठित गिरोह का सदस्य है। प्रार्थी किसी आपराधिक गिरोह के साथ आर्थिक भौतिक एवं अनुचित दुभिधाकी लाभ हेतु कोई आपराधिक गिरोह नही बनाया है, न कभी कोई अपराध किया है, न करता है। प्रार्थी किसी को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने से नहीं रोका, न किसी को गवाही देने से रोका। प्रार्थी शान्तिप्रिय व्यक्ति है। प्रार्थी के जात से समाज के किसी भी व्यक्ति को कोई डर भय व आतंक नहीं है, न कभी हुआ है। गैंगचार्ट के मुताविक प्रार्थी के खिलाफ मात्र अपराध संख्या 171 सन् 2025 ई० थाना गोपीगंज पुलिस द्वारा कायम किया गया है। उक्त अपराध संख्या 171/2025 ई० पुलिस ने झूठे तथ्यो केआधार पर कायम किया गया है जिसमें प्रार्थी द्वारा न्यायालय श्रीमान् अपर जनपद न्यायाधीश महोदय प्रथम भदोही के न्यायालय से अपनी जमानत करा लिया है तथा जब प्रार्थी अपराध संख्या –171/2025 में उपकारागार ज्ञानपुर में बन्द था तो एक अज्ञात प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना औराई द्वारा दर्ज करके अपराध संख्या 138/2025 धारा 379 आई०पी०सी० का कायम किया था जिसमे भी प्रार्थी न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भदोही द्वारा अपनी जमानत करा लिया है। प्रार्थी के पास से कोई भी चोरी की मोटरसाईकिल न बरामद हुई और न ही चोरी करते समय कोई भी साक्षी मौजूद ही रहा। थाना औराई की पुलिस द्वारा मात्र प्रार्थी के प्रतिष्ठा को गिराने के लिये दुश्मनान के साजिश मे होकर कायम किया व कराया गया है। प्रार्थी कोई मोटरसाईकिल चोरी करने का कोई गिरोह नहीं बनाया है। प्रार्थी को मात्र 2 मुकदमें के आधार पर अभियुक्त करार दिया गया है। प्रार्थी को न्याय की दृष्टि से अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी अग्रिम जमानत मुचलिका पर रिहा होने पर अपनी जमानत मुचलिका का दुरुपयोग नही करेगा न गवाहो को डरायेगा न धमकायेगा न बिना न्यायालय के आदेश से देश से बाहर जायेगा।

उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने तर्क प्रस्तुत किया कि गैंग चार्ट के अनुसार अभियुक्त रामबाबू उर्फ भानू दो अपराध में संलिप्त है। इसका स्वच्छन्द रुप से विचरण करना समाज एवं लोकहित में हितकर नहीं है।

गैंग चार्ट के अनुसार अभियुक्त रामबाबू उर्फ भानू के विरुद्ध इस जनपद के थाना– गोपीगंज जनपद –भदोही में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जो इस प्रकार से हैंः–

क्र०सं०	अपराध संख्या	धारा	थाना एवं जनपद
1.	171/2025	2(30),317(2),317(4),317(5),319(2),318(4),338,336(3),340(2) बी.एन.एस	गोपीगंज, जनपद भदोही।
2.	138/25	379, 411 भा०दं०वि०	औराई, जनपद भदोही।

विद्वान विशेष लोक अभियोजन ने यह भी तर्क दिया कि अभियुक्त आपराधिक प्रकृति का व्यक्ति है तथा गैंग बनाकर अपने व अपने गैंग के सदस्यों के आर्थिक,भौतिक एवं अनुचित दुनियाबी लाभ के लिए अपराध कारित करता है और इसका समाज में भय एवं आतंक व्याप्त है। अभियुक्त के विरुद्ध जो अभियोग पंजीकृत हुआ है , उसमें आरोप–पत्र न्यायालय में आ चुका है। गैंग के लीडर अर्जुन बिन्द के साथ सहअभियुक्तगण मो० ताजिम, रामबाबू उर्फ भानू, सुहेल, सचिन यादव व मोनू उर्फ गोलू का उपरोक्त कार्य धारा –3(1)उ०प्र० गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की परिधि में आता है और गैंग लीडर व सहअभियुक्तगण के साथ अभियुक्त रामबाबू उर्फ भानू के विरुद्ध गैंग चार्ट तैयार कराकर जिला मजिस्ट्रेट भदोही से दिनांक–31.12.2025 को अनुमोदित कराकर अभियोग पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति,, प्रश्नोत्तरी की प्रति, आधारकार्ड की प्रति प्रस्तुत की गई है।

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विशेष लोक अभियोजक गैंगेस्टर एक्ट को सुना गया तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

प्रथम दृष्टया पुलिस प्रपत्र एवं केश डायरी के अवलोकन से दर्शित है कि अभियुक्त पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर गैंग के साथ चोरी किये जाने एवं फर्जी नम्बर प्लेट के वाहन का उपयोग किये जाने का अभियोग है, जिसमें गिरफ्तारी के समय अभियुक्त के सआथ अन्य सहअभियुक्तगण के पास चोरी मोटरसाइकिल, जिस पर कूटरचित नम्बर प्लेट लगा था, बरामद किया जाना दर्शित किया गया है एवं अभियुक्त के विरुद्ध गैंगचार्ट में दर्शित

आधारभूत मुकदमें में आरोप पत्र प्रेषित किया जाना दर्शित है, जिसके आधार पर गैंगेस्टर की कार्यवाही की गई है। गैंगचार्ट के अनुसार अभियुक्त की अन्य सहअभियुक्तगण के साथ भूमिका बतायी गयी है। मूल मुकदमे में जमानत होने जाने के आधार पर गैंगेस्टर के मामले में अग्रिम जमानत दिये जाने का आधार उत्पन्न नहीं होता है।

अग्रिम जमानत प्रार्थना– पत्र पर विचार करते समय अभियोग की प्रकृति व गंभीरता, आवेदक के कार्यवृत्त तथा न्याय से भागने की आवेदक की संभाव्यता के साथ–साथ यह भी देखना अपेक्षित है कि क्या आवेदक को इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुंचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों से प्रथम दृष्टया ऐसा प्रकट नहीं होता है कि अभियुक्त को क्षति पहुंचाने एवं अपमानित करने के उद्देश्य से प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखायी गयी है। अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई करते समय साक्ष्य के गुण–दोषों पर विचार नहीं किया जाता है।

अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, अभियुक्त के विरुद्ध दर्शित आपराधिक कृत्य तथा अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने का कोई न्यायोचित आधार प्रतीत नहीं होता है। तदानुसार अभियुक्त की ओर से उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त रामबाबू उर्फ भानू की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–01 सन् 2026 अन्तर्गत धारा–3(1)उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट , थाना– गोपीगंज, जिला भदोही के प्रकरण में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(लोकेश कुमार मिश्र)
विशेष अपर सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो–प्रथम/
गैंगेस्टर अधिनियम, भदोही ज्ञानपुर।

दिनांक 20.03.2026

Digitally signed by Lokesh Kumar Mishra
Date: 2026.04.01 11:01:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court